10

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 67-दो/2009. - विरूद्ध आदेश दिनांक 4-10-2008 - पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 196/2006-07 अपील

सिद्धमुनि पुत्र रामऔतार पटैल
ग्राम अटारिया तहसील हनुमना
जिला रीवा, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- सुमेरे फोत वारिस
क- सरजू ख- लल्लूदास ग- विभाषण पुत्रगण स्व.सुमेरे
घ- इन्द्ररनिया पुत्री सुमेरे पत्नि केदार हरिजन
ड. लल्ली पुत्री सुमेरे पत्नि रामेश्वर हरिजन
च- सोखी पुत्री सुमेरे पत्नि मुन्ना हरिजन
छ- प्रेमवती पुत्री सुमेरे पत्नि रामगरीव हरिज़न
सभी ग्राम अटरिया तहसील हनुमना जिला रीवा
2-विशाल पुत्र पतोले हरिजन
3- जमुना 4- रामकरण पुत्रगण सुग्रीव हरिजन
5- राजरूप पुत्र रामगरीव पटैल
6- छठिलाल फोत वारिस
क- मुस. मंतोरिया पत्नि स्व. छठिलाल
ख- रामबहादुर पुत्र स्व. छठिलाल
ग- मन्तु कुमारी घ- सुधाकुमारी ड. पूजा पुत्रियां स्व. छठिलाल
च- अजयबहादुर छ- विजयबहादुर पुत्रगण स्व. छठिलाल
ज- प्रतिमादेवी पुत्री स्व. छठिलाल

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 1-08-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 196/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-10-2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सिद्धमुनि, राजरूप, छोटेलाल ने तहसीलदार मनागवां के यहां बंदोवस्त के दौरान हुई भूल सुधार का आवेदन दिया। तहसीलदार ने सुनवाई कर आदेश दिनांक 10-5-2004 पारित किया तथा बंदोवस्त के दौरान त्रृटि होना मानकर आराजी नंबर 206 के रकबे में सुधार करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मनगवां के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी मनागवां ने प्रकरण कमांक 103 अ-6-अ/2003-04 अपील में पारित आदेश दि0 26-10-06 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 196/2007-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-10-2008 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोक़न किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार व्दारा दोनों पक्षों को सुनने के वाद जो मौके के अनुसार स्थिति पाई है उसी अनुसार आदेश पारित किया है क्योंकि बंदोवस्त के दौरान रकबे में कमी वेशी जांच में पाई गई है जिसे दुरूस्त करने के अधिकार तहसीलदार को हैं। यदि तहसीलदार व्दारा

आदेश पारित करते समय कोई तकनीकी त्रृटि या कमोवेशी रह गई थी, तब अपर आयुक्त का दायित्व था कि मामला तहसीलदार को पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु वापिस करते, किन्तु अपर आयुक्त ने सीधे अपील स्वीकार करने में भूल की है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करके प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई के लिये वापिस किया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 4-10-2008 के अवलोकन पर स्थिति यह है तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान अनावेदकगण की ओर से धारा 89 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन की प्रचलनशीलता पर आपत्ति की गई थी, तहसीलदार ने आपत्ति का निराकरण करने हेतु प्रकरण दिनांक 8-8-03 को आदेश के लिये नियत किया, परन्तु आपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित न करते हुये प्रकरण साक्ष्य के लिये नियत कर दिया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने संहिता की धारा 89 की गलत व्याख्या करते हुये आदेश पारित किया है जिसके कारण उन्होंने तहसीलदार के आदेश दिनांक 10-5-2004 को एंव अनुविभागीय अधिकारी मनगवां के आदेश दिनांक 26-10-2006 निरस्त किया है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 4-10-2008 के अवलोकन से किसी प्रकार की त्रृटि करना परिलक्षित नहीं है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0 क0 196/06-07 अपील में पारित आदेश दि. 4-10-2008 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर